कार्यालय जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।

संख्या 71 /जि0आ0अ0/प्रतापगढ़/व्यवस्थापन/2020–21/दिनांकःमई 9, 2020

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय आबकारी आयुक्त,उ0प्र0 प्रयागराज के पत्र संख्या–38599–38673/दस–लाइसेंस–367–सुझाव आबकारी नीति/2020–21/दिनांक मार्च 23, 2020 द्वारा दिनांक 31–03–2020 तक अव्यवस्थित रहने वाली समस्त आबकारी दुकानों का दैनिक व्यवस्थापन कराया जाना है। अतः आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के निर्देश के अनुपालन में दिनांक 31–03–2020 तक अव्यवस्थित जनपद प्रतापगढ़ की निम्नलिखित 13 भांग दुकानों जिनका सूक्ष्म विवरण निम्नवत है, को दैनिक आधार पर संचालन हेतु उनके 14 दिन के निर्धारित न्यूनतम एम0जी0क्यू0 के आधार पर आफर/निविदा आमंत्रित किये जाते हैं :–

क0	दुकान का नाम	14 दिन का निर्धारित न्यूनतम एम0जी0क्यू0 किग्रा0 में	14 दिन का न्यूनतम निर्धारित लाइसेंस फीस आदि	क0	दुकान का नाम	14 दिन का निर्धारित न्यूनतम एम0जी0क्यू0 किग्रा0 में	14 दिन का न्यूनतम निर्धारित लाइसेंस फीस आदि
1	प्रतापगढ़ सिटी	0.92	1169	8	कुंडा	3.68	3446
2	भोपियामऊ	2.30	2961	9	लक्ष्मीगंज	1.38	987
3	अंतु	1.38	1945	10	सोना सरैया (बामन की बकरी)	0.46	585
4	किशुनगंज चन्द्रिका	1.38	1562	11	उस्मानगंज (बसंतगंज)	0.92	981
5	गढ़वारा	1.84	1000	12	रामपुर बावली	0.92	6155
6	कटरामेदनीगंज	2.76	5809	13	रेहुआ लालगंज	0.46	592
7	लवानाभवानीगंज	1.38	2789				

दुकानों के एम0जी0क्यू0 एवं लाइसेंस फीस आदि का विवरण जनपद की वेबसाइट **www.pratapgarh.nic.in** पर देखे जा सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त आफर का प्रारूप, समस्त सूचना एवं जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, प्रतापगढ़ एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से भी प्राप्त किया जा सकता है।

उक्त दुकानों का दैनिक आधार पर व्यवस्थापन दिनांक 11–05–2020 से दिनांक 24–05–2020 तक 14 दिनों के लिए अथवा नियमित व्यवस्थापन के दिनांक तक, जो भी पहले हो, के लिए किया जाना है। इस विज्ञप्ति के उपरान्त भी दैनिक व्यवस्थापन से अवशेष भांग दुकानों के दैनिक आधार पर व्यवस्थापन (दुकानों के नियमित व्यवस्थापन होने तक) हेतु इच्छुक आवेदक पहले आवक पहले पावक के आधार पर इस विज्ञप्ति में निर्धारित शर्तो के अनुरूप आफर/आवेदन कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी प्रतापगढ़ में प्रस्तुत कर सकते है।

दुकान चलाने हेतु इच्छुक व्यक्ति दिनांक 11–05–2020 को अपरान्ह 14:00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, प्रतापगढ़ में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं तथा दिनांक 11–05–2020 को ही अपरान्ह 15:00 बजे आवेदकों के समक्ष ही आफर खोलकर प्राप्त अधिकतम आफरदाता को दैनिक आधार पर दुकान का आवंटन कर दिया जायेगा। दो या दो से अधिक आफर समान होने पर चयन मैनुअल लाटरी द्वारा किया जायेगा। निर्धारित न्यूनतम एम0जी0क्यू0 से कम का आफर स्वीकार्य नहीं होगा।

9.05.2020

(राजेश कुमार सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी,
प्रतापगढ़।

(डॉ0 रूपेश कुमार)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी,
प्रतापगढ़।

संख्या 72-75 /जि0आ0अ0/प्रतापगढ़/व्यवस्थापन/2020–21/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रतापगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2–जिला सूचना अधिकारी, प्रतापगढ़ को दस प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति समाचार पत्रों में निः शुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

3–समस्त आबकारी निरीक्षक प्रतापगढ़ को व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुये समस्त दुकानों को दैनिक आधार पर व्यवस्थित कराने के निर्देश के साथ प्रेषित।

4–सम्पादक समाचार पत्र हिन्दुस्तान तथा राष्ट्रीय स्वरूप को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने समाचार पत्र के अगले अंक में प्रतापगढ़ सिटी पेज पर 12 से0मी0X 12 से0मी0(लगभग) के बाक्स में न्यूनतम निर्धारित सरकारी दर पर प्रकाशित कर भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करें।

(डॉ0 रूपेश कुमार)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी,
प्रतापगढ़।

Scanned by CamScanner